



भारत का राजपत्र

The Gazette of India


असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 181]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 1998/चैत्र 3, 1920

No. 181]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1998/CHAITRA 3, 1920

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1998

का. आ. 238(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956(1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, जल भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 27 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 659 (अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,

भाग (क) में क्रम सं. 1 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
"1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4, सं. 5 (3.4 कि.मी. से 75.0 कि.मी.) विजयवाड़ा से एलूरु, (164.75 कि.मी. से 180.82 कि.मी.) (नेल्लौर बाईपास) और 354.775 कि.मी. से 434.150 कि.मी. (चिलाकलूरीपेट से विजयवाड़ा) को छोड़कर, सं. 7, सं. 9 (217.0 कि.मी. से 265.0 कि.मी.) नंदीगाम से विजयवाड़ा (को छोड़कर) और सं. 43 का वह भाग जो आन्ध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है।	आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार"

भाग (ख) में क्रम सं. 11 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं अर्थात्:—

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य सरकार का नाम
1	2	3
"11.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1, सं. 1 क और सं 22 का वह भाग जो पंजाब राज्य के भीतर स्थित है।	पंजाब की राज्य सरकार
11 (क).	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 सं. 2 सं. 8 (23.5 कि.मी. से 107.18 कि.मी.) (दिल्ली/हरियाणा सीमा से बावल तक) को छोड़कर सं. 10 और सं 22 का वह भाग जो हरियाणा राज्य के भीतर स्थित है।	हरियाणा की राज्य सरकार
11 (ख).	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1-क और सं. 22 का वह भाग जो हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है।	हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार
11 (ग).	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 सं. 2 सं. 8 (11.00 कि.मी. से 23.5 कि.मी.) (दिल्ली से हरियाणा सीमा तक) को छोड़कर, सं. 10 और सं 24 का वह भाग जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित हैं।	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार"

[फा. सं. आर डब्ल्यू./एन.एच.-37011/34/97 डी.ओ.]

ए.डी. नारायण, महानिदेशक, (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

नोट:—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 4-4-1957 की सं. एस.आर. ओ. 1181 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसे बाद में दिनांक 27 सितम्बर, 1996 के सा.आ. 659(अ), दिनांक 6 नवम्बर, 1996 के सा. आ. 772(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1997 के सा.आ. 639(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के सा.आ. 777 (अ), दिनांक 6 फरवरी, 1998 के सा.आ. 112(अ) द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1998

S.O. 238(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport number S.O. 659 (E), dated the 27th September, 1956, Namely:—

In the said notification,

in part (a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely:—

No.	Description of the National Highway	Name of the State Government
	2	3
	So. much of National Highways No. 4, No. 5 [excluding from 3.4 km. to 75.0 Km. (Vijayawada to Eluru), from 164.75 km. to 180.82 km. (Nellore bypass) and from 354.775 km. to 434.150 km. (Chilakaluripet to Vijayawada)]. No. 7 No. 9 [excluding from 217.0 km. to 265.0 km. (Nandigama to Vijayawada)] and No. 43 as are situated within the State of Andhra Pradesh.	State Government of Andhra Pradesh"

In part (b) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely,

Sl.No.	Description of the National Highway	Name of the State Government
1	2	3
"11	So much of National Highways No. 1, No. 1A and No. 22 as are situated within the State of Punjab	State Government of Punjab.
11(a)	So much of National Highways No. 1, No. 2, No. 8 [excluding from 23.5 km. to 107.18 km. (Delhi/Haryana border to Bawal)] No. 10 and 22 as are situated within the State of Haryana.	State Government of Haryana.
11(b)	So much of National Highways No. 1-A and No. 22 as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh.
11(c)	So much of National Highways No. 1, No. 2, and No. 8 [excluding from 11.00 km. to 23.5 km. (Delhi to Haryana border)], No.10 and No. 24 as are situated within the National Capital Territory of Delhi.	Government of National Capital Territory of Delhi."

[F. No. RW/NH-37011/34/97-DO. I]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development) and Add. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India vide number SRO 1181 dated 4-4-1957 and subsequently amended by S.O. 659 (E) dated 27th September, 1996, S.O. 772(E) dated 6th November, 1996, S.O. 639 (E) dated 4th September, 1997, S. O. 777 (E) dated 11th November, 1997 and S. O. 112 (E) dated 6th February, 1998.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1998

का. आ. 239(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यहाँ संलग्न तालिका (जिसे आगे उक्त तालिका कहा गया है) के कॉलम (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त तालिका के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित तदनुरूपी खंड की उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दूरी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी है।

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	खंड	दूरी (कि०मी०)
1	2	3
5.	विजयवाड़ा से एलूरु	3.4 कि०मी० से 75.0 कि०मी०
5.	नेल्लौर बाइपास	164.75 कि०मी० से 180.82 कि०मी० और
5.	चिलाकलूरीपेट से विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश राज्य में)	354.775 कि०मी० से 434.150 कि०मी०
8.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में) से गुडगांव (हरियाणा राज्य में)	11.0 कि०मी० से 36.63 कि०मी०

[फा०सं० आर डब्ल्यू/एन एच-37011/34/97-डी ओ. I]
ए० डी० नारायण, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1998

S.O. 239(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches as specified in column (3) of the Table annexed hereto (hereinafter referred to as the said Table) of the corresponding section as mentioned against them in column (2) of the said Table of the National Highway as described in column (1) of the said Table to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highways No.	Section	Stretch in kilometre
(1)	(2)	(3)
5	Vijayawada to Eluru	from 3.4 km to 75.0 km.
5	Nellore bypass	from 164.75 km. to 180.82 km. and
5	Chilakaluripet to Vijayawada (in the Andhra Pradesh State)	from 354.775 km. to 434.150 km.
8	Delhi (in the National Capital Territory of Delhi) to Gurgaon (in the Haryana State).	from 11.0 km. to 36.63 km.

[F. No. RW/NH-37011/34/97-DO. I]

A. D. NARAIN, Director General (Road Development) and Add. Secy.